Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

सेवा में,

1. सभी प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरियाणा राज्य में।
2. सभी प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक (महिला), राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरियाणा राज्य में।

यादी क0 टी–I/दाखिला/2016–17/47 दिनांक :– 09.08.2016

विषयः– सत्र 2016–17 का 4th & 5th कांउसलिंग बारे दिशा–निर्देश।

....

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

आपको अवगत करवाया जाता है कि संस्थान में दाखिले के लिए रिपोर्ट करने वाले प्रार्थियों के अंको की प्रतिशतता उनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के साथ वैटेज (यदि कोई हो तो) के अंकों को जोड़ते हुए मानी जाए, प्रार्थी की मैरिट इसी आधार पर तैयार की गई है।

प्रार्थी के मैरिट कार्ड पर आठवीं /दसवीं/ बारहवीं कक्षा में प्राप्त अंक तथा वैटेज को जोड़ते हुए मैरिट रैंक दर्शाई गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

- आठवीं के आधार पर दर्शाई गई मैरिट रैंक केवल उन व्यवसायों के लिए मान्य है जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास है।
- दसंवी के आधार पर दर्शाई गई मैरिट रैंक केवल उन व्यवसायों के लिए मान्य है जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास है।
- बारहवीं के आधार पर दर्शाई गई मैरिट रैंक केवल उन व्यवसायों के लिए मान्य है जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवीं पास है।

अंतिम समय में फेरबदल होने के कारण प्रार्थी द्वारा जमा करवाए गए मैरिट कार्ड पर दर्शाई गई रैंक तथा प्रार्थी की नवीनतम रैंक में भिन्नता हो सकती है। अतः मैरिट कार्ड को रैंक में लगाने से पूर्व www.itihry.com पर दिए गए लिंक **download new final merit card rank** से प्रार्थी की नवीनतम मैरिट रैंक का अवलोकन अवश्य करें।

किसी भी व्यवसाय में दाखिला उस व्यवसाय की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मैरिट / सभी मूल प्रमाण–पत्रों की पूर्ण जांच पड़ताल के पश्चात ही किया जाए। किसी भी स्तर पर किसी भी दाखिले से सम्बन्धित यदि कोई भी त्रुटि/लापरवाही पाई जाती है तो उसके लिए संस्थान का मुखिया स्वंय जिम्मेवार होगा।

उपरोक्त निर्देशों की दृढता से पालना की जाये ।

Vijay Kumar 09/08/16

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण 5)
कृतेः निदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग
हरियाणा ।

पृष्ठांकन न0 टी–I/दाखिला/2016–17/48 दिनांक :– 09.08.2016

उपरोक्त पत्र की एक प्रति उप निदेशक (प्राईवेट आई0टी0आई0) को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ भेजी जाती है तथा अनुरोध किया जाता है कि सभी प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपने स्तर पर अवगत करवाएं।

CC:

1. निजी सहायक टू संयुक्त निदेशक (तकनीकी)
2. सहायक निदेशक (प्रशिक्षण–1) विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने बारे।